

पूर्व मध्य रेल
EAST CENTRAL RAILWAY



कार्यालय
महाप्रबंधक (का.)
हाजीपुर

PCPO's Cir. Sl. No.93/2025

RBE No.68/2025

No.ECR-HQOPERS (RULE)/0001/2025 (Com.No.309129)

Date: As Signed

1. CAO (Con.)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD/पूमरे/हाजीपुर।
3. DRM/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पूमरे/हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/पीडी/डीडीयू, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर एवं हरनौत।
7. Sr.DPO/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
9. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पूमरे/हाजीपुर।

विषय:- Educational qualification criteria to appear in the selection of Technician Gr. III (Pay Level-2) against 25% LDCE quota - clarification thereof.

संदर्भ:- Railway Board's letter No.-E(NG)/2019/PM7/1/AIRF(E-3419173),
Dated-09.07.2025.

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information and needful onward action please.

DA: As above.

Signed by
Prakash Kumar Singh
Date: 08-08-2025 15:11:03

सकाधि/ई.एस.एम.
कृते महाप्रबंधक (का.)/पूमरे/हाजीपुर

प्रतिलिपि/— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित—

1. महासचिव/ईसीआरईयू/पूमरे/हाजीपुर।
2. महासचिव/एस.सी.एवं एस.टी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।
3. सकाधि (एम.पी.पी.)/पूमरे/हाजीपुर—कृपया इसे वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड / (RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I/2019/PM7/1/AIRF(E-3419173)

New Delhi, dated 09.07.2025

The General Manager(P)
All Indian Zonal Railways & PUs

Sub: Educational qualification criteria to appear in the selection of Technician Gr.III (Pay Level-2) against 25% LDCE quota - clarification thereof.

Ref: i) AIRF PNM Item No.31/2018

ii) Railway Board letter No.E(NG)I-96/PM7/56 dated 02.02.1998 (RBE No.23/1998)

Pursuant to a demand raised by the Staff Side (AIRF) vide PNM Item No.31/2018, it is hereby clarified that the term used in RBE 23/1998 for the erstwhile Group 'D' staff (erstwhile Khalasi & Khalasi Helpers) eligible to appear in the selection for promotion to the post of Technician-III (Pay Level-2) against 25% LDCE quota about educational qualification "as laid down in the Apprentices Act" should be taken as one of the educational qualifications (trade qualifications, to be more specific) given in the Schedule-I of the Apprentices Rules, 1992 and as amended from time to time, unless specifically mentioned otherwise.

2. Further, it is also clarified that the part 2(v) of the instructions vide RBE 23/1998 pertaining to a situation where an empanelled staff who is lacking an educational qualification of Act Apprenticeship/ITI in the relevant trade is required to undergo a training and pass a trade test thereafter before being promoted, still holds good. Meaning thereby, that the staff who are not having Act Apprenticeship/ITI qualification in the relevant trade are also eligible for appearing in the selection for promotion to the post of Technician-III (Pay Level-2) against 25% LDCE Quota, albeit they shall be promoted only on passing the requisite training and the trade test thereafter unlike those who are having the Apprenticeship Act/ITI qualification in the relevant trade, who shall be promoted on being empanelled.

3. As far as assigning of seniority on promotion in above mentioned cases is concerned, the normal rules of seniority under the circumstances of having different durations of initial training will apply.

The Railways/PUs are advised to deal with cases in this regard accordingly.

Hindi version will follow.

DA: Nil

Sanjay 09/07/25
(Sanjay Kumar)

Dy. Director/Estt.(N)

Railway Board

Ph. No. 011-23047197

E-mail Id- sanjay.kumar6@gov.in

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड / (RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)I/2019/पीएम7/1/एआईआरएफ(ई-3419173)

नई दिल्ली, दिनांक 09.07.2025

महाप्रबंधक(कार्मिक)

सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां

विषय: 25% एलडीसीई कोटा के अंतर्गत तकनीशियन ग्रेड III (वेतन स्तर-2) के चयन के लिए शैक्षणिक अर्हता से संबंधित स्पष्टीकरण

संदर्भ: i) एआईआरएफ पीएनएम मद सं. 31/2018

ii) रेलवे बोर्ड का दिनांक 02.02.1998 का पत्र सं. ई(एनजी)I-96/पीएम7/56 (आरबीई सं.23/1998)

स्टाफ पक्ष (एआईआरएफ) द्वारा पीएनएम मद संख्या 31/2018 के तहत उठाई गई मांग के अनुसरण में, यह स्पष्ट किया जाता है कि 25% एलडीसीई कोटा के तहत आरबीई 23/1998 में पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' कर्मचारियों ('पूर्ववर्ती खलासी और खलासी हेल्पर') के लिए प्रयुक्त शब्द, तकनीशियन-III (वेतन स्तर-2) के पद पर पदोन्नति के लिए चयनित होने के लिए पात्र हैं। "प्रशिक्षु अधिनियम में यथा निर्धारित" शैक्षणिक अर्हता को, प्रशिक्षु नियम, 1992 तथा समय-समय पर यथा संशोधित, जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो, की अनुसूची-1 में दी गई शैक्षणिक अर्हता (अधिक विशिष्ट रूप से ट्रेड अर्हता) में से एक माना जाना चाहिए।

2. इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आरबीई 23/1998 के अनुदेशों का भाग 2(v) उस स्थिति से संबंधित है जहां पैनलबद्ध कर्मचारी, जिसके पास संबंधित ट्रेड में एक्ट अप्रेंटिसशिप/आईटीआई की शैक्षिक अर्हता नहीं है, को पदोन्नति से पहले प्रशिक्षण लेना और उसके बाद ट्रेड टेस्ट पास करना आवश्यक है, अभी भी लागू है। इसका अर्थ यह है कि, जो कर्मचारी संबंधित ट्रेड में एक्ट अप्रेंटिसशिप/आईटीआई योग्यता नहीं रखते हैं, वे भी 25% एलडीसीई कोटा के तहत तकनीशियन-III (वेतन स्तर-2) के पद पर पदोन्नति के लिए चयन में शामिल होने के पात्र हैं, यद्यपि उन्हें अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त करने और उसके बाद ट्रेड टेस्ट पास करने के बाद ही पदोन्नत किया जाएगा, इसके विपरीत, जो संबंधित ट्रेड में अप्रेंटिसशिप एक्ट/आईटीआई योग्यता रखते हैं, उन्हें पैनलबद्ध होने पर पदोन्नत किया जाएगा।

3. जहां तक उपर्युक्त मामलों में पदोन्नति पर वरिष्ठता प्रदान करने का संबंध है, इसके लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण की विभिन्न अवधियों की परिस्थितियों के तहत वरिष्ठता के सामान्य नियम लागू होंगे।

रेलों/उत्पादन इकाइयों को इस संबंध में मामलों का तदनुसार निपटान करने की सलाह दी जाती है।

संलग्नक: कुछ नहीं।

09/07/25
(संजय कुमार)

उप निदेशक स्था.(एन)

रेलवे बोर्ड

फोन नं. 011-23047197

ईमेल आईडी- sanjay.kumar6@gov.in